राजस्व विभाग

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

संख्या एफ७ (253) रो/5/67 दिनांक 14-12 सन् 1967

चूंकि विज्ञप्ति संख्या एफ२४)२००) रेवेन्यू ५३-१२४६८ दिनांक २-२-५४ द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें यदि हों, निपटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अब उक्त एक्ट की धारा२० द्वारा प्रदत्तशक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दि०--- से प्रभाव मे रखते हुवे आरक्षित वन घोषितकरती है जो कि इस प्रावधान के अधीन है कि निचे लिखे ग अधिकारों की संक्षिप्त सुचि(१) में उल्लेखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे राज्यपाल की आज्ञा से सुचि(२) मे उल्ले सीमा तक ऐसे मौसमो में उक्त वन के ऐसे भागो मे तथा ऐसे नियमो के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा समय २ पर जारी हो रियायतो का उपभोग करेंगे.

शासन सचिव।
राजस्व ०००००
राजस्थान, सरकार, जयपुर

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खंड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खंड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
उदयपुर	सराडा	भौराई	सेमारी	७२६-५५	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट(अ) संलग्न
			दुरजनपुरा	६७-८१	
			जामुडा	५०३-४२	
			रठोडा	१०८-८२	
			भौराई	१४००-६३	
			सरड	३११-५०	
			साखरिया	२१६-४३	
			कुन्डा	२१४-७०	
			घोडासर	१२६८-५५	
			सावलपुरा को गुडा	८२४-५८	
			टोकर	२५७-५०	
			पहाडा	१०४-२६	